

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र0-06/विविध-27/2014 1951

खाद्य, पटना/दिनांक- 18/04/2018

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी,

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले किन्नर समुदाय को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक निर्गत विभागीय संकल्प सं0-1239 दिनांक 09.03.2018 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने जिलान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले किन्नर समुदाय को पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में आच्छादित करते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय एवं कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:- यथोक्त।

Shree विश्वासभाजन,
18/4
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- प्र0-06/विविध-27/2014 1951

खाद्य, पटना/दिनांक- 18/04/2018

प्रतिलिपि - अपर जिला दंडाधिकारी अपूर्ति, पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना एवं सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडलीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shree
18/4/XVIII
सरकार के अपर सचिव।